


राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- सं.29-3(6)/पदो./अभि/2023/1579-1629 जयपुर, दिनांक:- 29/1/23

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल - 5 में पदोन्नत किया जाता है:-


क्र०स०	कार्मिक का नाम मय पिता का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
1	2	3	4
1.	श्री नारायण प्रसाद सोनी पुत्र श्री हीरा राम सोनी	अनारक्षित	दिनांक 1.4.2023
2.	श्री केवला राम पुत्र स्व.श्री चेतन राम	अनुसूचित जाति	दिनांक 1.4.2023
3.	श्री राजेश गहलोत पुत्र स्व.श्री तख्त सिंह	अनारक्षित	दिनांक 1.4.2023

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।


(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर ।
03. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
04. सम्बंधित कार्मिक.....द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष ।
05. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक (वरिष्ठ), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर ।
06. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर